प्रेस विज्ञप्ति
23.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अपराध से प्राप्त आगम के रूप में 16,86,465/- रुपये की राशि को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई राशि मेसर्स जीविका फाउन्डेशन के नाम से एचडीएफसी बैंक, करोल बाग, नई दिल्ली में रखे गए बैंक खाते में है। उक्त खाता आरोपी गौरव कुमार पुत्र जयपाल सिंह द्वारा संचालित किया जाता है, जो एक सुव्यवस्थित डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी रैकेट में शामिल पाया गया है।

ईडी ने साइबर पुलिस स्टेशन, कश्मीर जोन द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी संख्या 26/2024 दिनांक 19.10.2024 के आधार पर जांच शुरू की, साथ ही माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीनगर की अदालत में एक प्रारंभिक आरोप पत्र दायर किया। जांच एक साइबर धोखाधड़ी से संबंधित है जिसमें कानून प्रवर्तन और नियामक एजेंसियों के अधिकारियों के प्रतिरूपण के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को धोखा दिया गया था। जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् गौरव कुमार, गुरप्रीत सिंह और उज्ज्वल चौहान ने अन्य सहयोगियों के साथ साजिश रचकर ट्राई और सीबीआई जैसी एजेंसियों के अधिकारियों के प्रतिरूपण के माध्यम से एक सुनियोजित धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पीड़ित को झूठी जानकारी दी गई कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े धन शोधन मामले में शामिल है और उसे गिरफ्तारी की धमकी दी गई। डर, जबरदस्ती और मनोवैज्ञानिक दबाव के तहत, पीड़ित को अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट को खत्म करने और फंड ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया।

तदनुसार, पीड़ित से 21,00,000/- रुपये की राशि धोखाधड़ी से प्राप्त की गई और मेसर्स जीविका फाउण्डेशन के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई, जिसने प्राथमिक लाभार्थी और माध्यम खाते के रूप में कार्य किया। धोखाधड़ी की गई कुल राशि में से, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीनगर की अदालत द्वारा पारित दिनांक 28.09.2024 के आदेश के अनुसार, शिकायतकर्ता को 4,13,535/- रुपये की राशि पहले ही वापस कर दी गई है। हालांकि, शेष राशि 16,86,465/- रुपये, जो मेसर्स जीविका फाउण्डेशन के बैंक खाते में पहचान योग्य और पता लगाने योग्य है, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अपराध की आगम है। इसके अलावा, उक्त राशि को पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जाँच जारी है।